पत्रांक–7/पद सृजन–15–06/2015सा0प्र0...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक.....

विषयः– **राज्य के व्यवहार न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के अनुश्रवण हेतु नियमित आधार पर ₹11,95,442/–(ग्यारह लाख पिचानबे हजार चार सौ बयालीस रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय भार पर विशेष कार्य पदाधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन) के 01 (एक) पद का सृजन संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक–15214 दिनांक 14.10.2015 में उल्लिखित बजट शीर्ष में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंगः– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–62036 दि0 19.10.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि व्यवहार न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण कार्य की दैनिक प्रगति का जिलों के नोडल पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावी अनुश्रवण हेतु नियमित आधार पर असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि या असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि (पाँच वर्ष के अनुभव के साथ) में विशेष कार्य पदाधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक–15214 दिनांक 14.10.2015 द्वारा संसूचित है। उक्त पत्र में निकासी का **"बजट शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" अंकित है एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी" घोषित हैं।**

2. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–62036 दिनांक 19.10.2015 में विभागीय पत्रांक–15214 दिनांक 14.10.2015 द्वारा सृजित विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के 01 पद के लिए निकासी का शीर्ष कंडिका–3 में उल्लिखित शीर्ष के बजाय **"2014 Administration of Justice, Minor Head-102 High Court, sub-head-0001 High Court, Patna bill code "N-2014001020001"** तथा उक्त पद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक (ज्यूडिशियल), पटना उच्च न्यायालय, पटना होने की सूचना दी गई है।

3. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उपर्युक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–15214 दिनांक 14.10.2015 की कंडिका–3 निम्नवत् संशोधित की जाती है:–

"उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय "2014 Administration of Justice, Minor Head-102 High Court, sub-head-0001 High Court, Patna bill code "N-2014001020001" तथा उक्त पद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक (ज्यूडिशियल), पटना उच्च न्यायालय, पटना होंगे।"

4. इसमें वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अरूण प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–06/2015सा0प्र0 17361 /पटना–15, दिनांक 16.12.15

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 26.09.2015 के मद संख्या–4 के प्रसंग में/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–7/पद सृजन–15–05/2015सा0प्र0...../

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक.....

विषयः– **राज्य के व्यवहार न्यायालयों में आधारभूत संरचना विकास कार्य की अनुश्रवण हेतु नियमित आधार पर ₹11,95,442/–(ग्यारह लाख पिचानबे हजार चार सौ बयालीस रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय भार पर विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के 01 (एक) पद का सृजन संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक–16066 दिनांक 10.11.2015 में उल्लिखित बजट शीर्ष में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंगः– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–66374 दि0 20.11.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि व्यवहार न्यायालयों में आधारभूत संरचना विकास कार्य की दैनिक प्रगति का सभी जिला न्यायाधीशों तथा भवन निर्माण विभाग, विधि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावी अनुश्रवण हेतु गैर योजना मद में स्थायी रूप से नियमित आधार पर असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि या असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि (पाँच वर्ष के अनुभव के साथ) में विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक–16066 दिनांक 10.11.2015 द्वारा संसूचित है। उक्त पत्र में निकासी का **"बजट शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" अंकित है एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी" घोषित हैं।**

2. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–66374 दिनांक 20.11.2015 में विभागीय पत्रांक–16066 दि0 10.11.2015 द्वारा सृजित विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के 01 पद के लिए निकासी का शीर्ष कंडिका–3 में उल्लिखित शीर्ष के बजाय **"2014 Administration of Justice, Minor Head-102 High Court, sub-head-0001 High Court, Patna bill code "N-2014001020001"** तथा उक्त पद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक (ज्यूडिशियल), पटना उच्च न्यायालय, पटना होने की सूचना दी गई है।

3. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उपर्युक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–16066 दिनांक 10.11.2015 की कंडिका–3 निम्नवत् संशोधित की जाती है:–

"उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय "2014 Administration of Justice, Minor Head-102 High Court, sub-head-0001 High Court, Patna bill code "N-2014001020001" तथा उक्त पद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक (ज्यूडिशियल), पटना उच्च न्यायालय, पटना होंगे।"

4. इसमें वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अरूण प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–05/2015सा0प्र0 17360 /पटना–15, दिनांक 16.12.15

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 26.09.2015 के मद संख्या–5 के प्रसंग में/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2015

सरकार के संयुक्त सचिव।